कार्यालय प्राचार्य महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
आशियाना, लखनऊ

पत्रांकः मेमो /2020–21 दिनांक– 21/11/2020

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांकः 23/11/2020 से महाविद्यालय में ऑनलाइन के साथ–2 ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसी क्रम में कोविड–19 महामारी के दृष्टगति सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए महाविद्यालय के बी0ए0/बी0एस0सी/बी0कॉम/ एम0ए0– प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं की उपस्थिति आवश्यक है। अतः आप सभी निम्न तिथियों को समयानुसार उपस्थिति होने का कष्ट करें।

क्रम सं0	दिनांक	समय	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम स्थल का नाम
1–	24/11/2020	प्रातः 8:00 बजे	**NCC Cadet Selection**	महाविद्यालय का सभागार
2–	25/11/2020	प्रातः 11:00 बजे	**B.Com/B.Sc.** प्रथम वर्ष ओरिएण्टेशन प्रोग्राम	महाविद्यालय का सभागार
3–	26/11/2020	प्रातः 11:00 बजे	**B.A.** प्रथम वर्ष ओरिएण्टेशन प्रोग्राम	महाविद्यालय का सभागार
4–	03/12/2020	प्रातः 11:00 बजे	सभी पीएच0डी0 शोधार्थी ओरिएण्टेशन प्रोग्राम	प्राचार्य कक्ष
5–	05/12/2020	प्रातः11:00 बजे	**M.A.** प्रथम वर्ष ओरिएण्टेशन प्रोग्राम	महाविद्यालय का सभागार

डॉ0(मु0 तारिक)
प्राचार्य

प्राचार्य
महाराजा बिजली पासी
राज० स्ना० महाविद्यालय
आशियाना, लखनऊ

कार्यालय प्राचार्य महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
आशियाना, लखनऊ

पत्रांकः 201 / 2020–21 दिनांक– 21/11/2020

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 5453 / सत्तर–3–2020–08(20) / 2020 अनुभाग–3 दिनांक 17 नवम्बर 2020 के अनुपालन में दिनांक 23.11.2020 से महाविद्यालय में आफलाइन भी शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है जिसमें पचॉस प्रतिशत छात्र–छात्राओं की उपस्थिति ही अनुमन्य होगी शेष विद्यार्थी अपनी कक्षाएं ऑनलाइन ही पढ़ेंगें तथा समय सारिणी के अनुसार कक्षाऐं चलेंगी। महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।

1– फेस कवर / मास्क लगा कर आना है।

2– अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

3– सेनेटाईजर एवं पानी की बोतल लाना अनिवार्य है।

4– स्कूल यूनीफार्म में महाविद्यालय आना अनिवार्य है।

5– शिक्षण कक्ष व महाविद्यालय के किसी भी स्थान पर छः फिट की दूरी का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

6– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य करें।

7– यदि किसी छात्र–छात्रा को कोविड संक्रमण का संदेह हो तो महाविद्यालय को सूचित करें एवं किसी भी दशा में महाविद्यालय न आयें।

सूच्य है कि उक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय। महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी उपरोक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें तथा महाविद्यालय में पठन–पाठन कार्य एवं संचालन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

डॉ0(मु0तारिक)
प्राचार्य

प्राचार्य
महाराजा बिजली पासी
राज0 स्ना0 महाविद्यालय
आशियाना, लखनऊ